भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2477
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास की उपलब्धियां

2477. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों के संबंध में माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष कोई प्रस्तुति की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) किन क्षेत्रों में यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया और किन क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ रहा है;
(ङ) आगामी तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे प्राप्त करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है;
(च) माननीय प्रधान मंत्री को जिन कठिनाइयों से अवगत कराया गया है, उनका ब्यौरा क्या है तथा उनसे निपटने के जो सुझाव रखे गए उनका ब्यौरा क्या है; और
(छ) उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिस पर मंत्रालय द्वारा आगामी तीन वर्षों में ध्यान केन्द्रित करने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (छ) : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों में वृद्धि, स्व-रोजगार को प्रोत्साहन, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, अवसंरचना विकास, सामाजिक सहायता के प्रावधान और अन्य बुनियादी सुविधाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन-स्तर में समग्र सुधार करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-

एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, संबंधित कार्यक्रम/योजना के दिशा-निर्देशों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन पर चर्चा की जाती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं पर भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार और उनका अनुमोदन किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का लक्ष्य साक्ष्य के आधार पर क्षेत्रों तथा लाभार्थियों का चयन करके बहु-आयामी गरीबी को दूर करना है। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उनके कार्यान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देशों/फ्रेमवर्क के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनमें आजीविका के अवसरों में वृद्धि, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान तथा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर स्पष्ट ध्यान दिया जाता है।

*****

अनुबंध-I

'ग्रामीण विकास में उपलब्धियां' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2477 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

I. <u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना)</u>:

पिछले दो वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(**आंकड़े करोड़ में**)

वर्ष	2017-18	2018-19
सृजित श्रम दिवस	23374	26800
पूरी की गई परिसंपत्तियों की सं.	62.63	89.96
कृषि और कृषि संबंधी कार्यों पर व्यय का प्रतिशत	66	63

II. <u>प्रधान मंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)</u>:

पिछले दो वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	पूरे किए गए मकान* (आईएवाई मकानों सहित)
2017-2018	4454624
2018-2019	4733509

*आवास सॉफ्ट पर 27.11.2019 तक दी गई सूचना के अनुसार

II. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):

पिछले दो वर्षों के दौरान पूरी की गई सड़क लंबाई के मामलों में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	बनाई गई सड़क की लंबाई **(किमी.में)**
1.	2017-18	48719
2.	2018-19	49042

IV. दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (□एवाई-एनआरएलएम):

पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	स्व-सहायता समूहों की सामाजिक एकजुटता
1	2017-18	791850
2	2018-19	985587

V. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (□□यू-जीकेवाई):

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई और ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां (प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या) नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	**वर्ष**	**□□यू-जीकेवाई**	**आरएसईटीआई**
1	**2017-18**	131527	423343
2	**2018-19**	228955	403672

VI. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई):

माननीय सांसदों द्वारा 25.11.2019 तक कुल 1692 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। 1324 ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत योजनाएं अपलोड कर दी हैं। 42,342 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

VII. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

वर्ष	**जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)**
2017-18	**8679.16**
2018-19	**8408.31**

VIII. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम):

पिछले दो वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	निर्धारित की गई लघु बस्तियां
1	2017-18	67
2	2018-19	43